



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

प्रेस - विज्ञप्ति

दिनांक-10 .05.2023

थाना जैतपुरा द्वारा नाबालिक लड़की को बहला फुसला कर नदी के किनारे ले जाकर अश्लील हरकत करने वाले अभि० को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 07.05.2023 को वादिनी द्वारा सूचना दी गयी थी कि वह अपनी बेटी उम्र 14 वर्ष को जो थोड़ा मानसिक रूप से विचलित है तथा बोल नहीं पाती है दि० -07.5.2023 को बगल में शादी थी अपने साथ शादी में लेकर गयी थी कि बच्चों के साथ खेलते हुए कार्यक्रम स्थल से बाहर चली गयी नामसमझी का फायदा उठाकर अजय सोनकर पुत्र स्व० रामसकल सोनकर हाल पता मौजाहाल बघवानाला थाना जैतपुरा वाराणसी स्थायीपता ग्राम इन्द्रानगर थाना चकिया जनपद चन्दौली उम्र करीब 30 वर्ष द्वारा अश्लील हरकत करना गाली गुप्ता व मारने की धमकी दिया। जिसके सम्बन्ध में थाना थाना जैतपुरा पर मु०अ०सं० 110/2023 धारा 354/504/506 आईपीसी व 7/8 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्त अजय सोनकर उपरोक्त वांछित था जिसे मुखबीर की सूचना के आधार पर आज दिनांक 10.05.2023 को रात्रि 00.10 बजे उसके निवास स्थान बघवानाला (किराये का मकान) से गिरफ्तार किया गया। थाना जैतपुरा पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण- मु०अ०सं० 110/2023 धारा 354/504/506 आईपीसी व 7/8 पाक्सो एक्ट

आपराधिक इतिहास- निल

गिरफ्तार अपराधी का विवरण-

1. अजय सोनकर पुत्र स्व० रामसकल सोनकर हाल पता मौजाहाल बघवानाला थाना जैतपुरा वाराणसी स्थायीपता ग्राम इन्द्रानगर थाना चकिया जनपद चन्दौली उम्र करीब 30 वर्ष

गिरफ्तारी का स्थान व समय - दिनांक 10.05.2023 को समय 00.10 बजे बजे, मौजा हाल बघवानाला किराये का मकान

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

उ०नि० सुधीर कुमार यादव थाना जैतपुरा कमि० वाराणसी  
उ०-नि० अमर सिंह थाना थाना जैतपुरा कमि० वाराणसी  
का०अनीश जायसवाल थाना जैतपुरा कमि० वाराणसी

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त,  
जोन काशी कमिश्नरेट  
वाराणसी।

